संख्या- 06/2020/477/86-2020-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ; दिनांक 05 मार्च, 2020

विषयः- कृषिकीय/निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन हेतु अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क के अन्तर्गत कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण एकत्र बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर आदि को हटाये जाने हेतु रायल्टी का दोगुना के आधार पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के प्राविधान हैं। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-2027/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार नियमावली-1963 के नियम-23(ड़) के अन्तर्गत नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों का ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार स्वीकृत किये जाने के प्राविधान हैं। तत्क्रम में शासनादेश सं0-2026/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कतिपय जनपदों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नियम-52क के अन्तर्गत कृषिकीय भूमि पर तथा निमय-23(ड़) के अन्तर्गत नदी तल स्थित निजी भूमि पर भूस्वामियों द्वारा खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु प्रदेश में अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है, परन्तु उपरोक्त नियमों व शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार खनन परिहार स्वीकृत किये जाने में जनपद स्तर पर समयान्तर्गत कार्यवाही नहीं हो रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में बालू/मोरम की उपलब्धता बनाये रखने के साथ हीं उसे आम जनमानस को उचित एवं सस्ते दर पर बालू/मोरम उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु बालू/मोरम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए त्वरित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क के अन्तर्गत कृषि भूमि पर प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार जांच कराकर 01 माह के अन्दर निस्तारण कराया जाये तथा नियम-23(ड़) के अन्तर्गत नदी

http://shasanadesh.up.nic.in

तल स्थित निजी भूमि के प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में क्षेत्र में उपखनिज की उपलब्धता एवं खनन हेतु क्षेत्र की उपयुक्तता की जाँच कराकर एक माह के अन्दर ई-निविदा हेतु विज्ञापन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर जनपद स्तर से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करते हुए प्रतिमाह प्राप्त, स्वीकृत/अस्वीकृत/लम्बित/निर्गत अनुज्ञा पत्र/स्वीकृत पट्टे और माह तक समेकित रूप से कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को विभागीय बेबसाइट dgmup.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डॉ0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या- 477(1) /86-2020-57(सा0)/2017 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-1892/एम0228/2017 (खनन नीति)(IV), दिनांक 20.02.2020 के संदर्भ में ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 ।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ) ।
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव ।

http//shasanadesh.up.nic.in